दिनांक – 19-5-2024 को कोतवाली कैंट में युवक के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिनांक 17/05/2024 को वादी श्री शिव चन्द्र साहनी, निवासी इदगाह, प्रकाश नगर, बिंदाल ने थाने में आकर एक तहरीर दी कि दिनांक 16/05/2024 समय करीब 8.30 से 9.00 बजे विशाल साहनी पुत्र रामस्वरुप ने प्रकाश नगर बिंदाल के पास उनके पुत्र राधेश्याम के साथ मारपीट की तथा उसको मरणासन्न अवस्था में छोड कर मौके से भाग गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों द्वारा हायर सेन्टर रैफर किया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना कैटं मे मु.अ.स.-117/24 धारा 307/504 भा.द.वि. का अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 18/05/2024 को वादी द्वारा बताया गया कि दौराने ईलाज उनके पुत्र की सिटी न्यूरो स्पाइन हॉस्पिटल, सरस्वती विहार, देहरादून में मृत्यु हो गयी है, जिस पर अभियोग में धारा 302 की वृद्धि की गई।

प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कैन्ट को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु घटनास्थल व उसके आसपास लगे 50 से अधिक सी.सी.टी.वी को देखा गया व स्थानीय मुखबिर तंत्र भी सक्रिय करते हुए अभियुक्त के सम्बंध में जानकारियां एकत्रित की गई तथा मुखबिर की सूचना पर घटना को अजांम देने वाले अभियुक्त विशाल साहनी पुत्र रामस्वरुप साहनी को मलिन बस्ती प्रकाश नगर खुडबुडा से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरणः-अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मृतक राधेश्याम का भाई राजा उसका दोस्त है। दिनांक 16/05/24 को अभियुक्त, मृतक के भाई राजा के साथ बर्थडे मनाने के लिए सहस्त्रधारा गया था, जहां उनके द्वारा अपने एक अन्य साथ के साथ शराब पी और फिर राजा को उसके घर छोड दिया। उसी दिन रात्री समय करीब 8.30 से 9.00 के बीच राजा का भाई राधेश्याम अभियुक्त से मिला तथा राजा को शराब पिलाने के सम्बंध में उससे बहस करने लगा, इस बात को लेकर उन दोनो की हाथापाई हो गई और अभियुक्त ने अपनी स्कूटी की चाबी से राधेशयाम के सर पर वार कर दिया, जिससे राधेश्याम जमीन पर गिर गया और अभियुक्त घबराकर मौके से भाग गया। राधेश्याम की मृत्यु की सूचना मिलने पर अभियुक्त बिहार भागने की फिराक में था, पर उससे पूर्व ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

नाम/पता अभियुक्तः-

विशाल साहनी पुत्र रामस्वरुप साहनी, निवासी ग्राम भरोली, थाना सिमदी, जिला दरभंगा विहार, हाल निवासी C/O- अमरजीत का मकान, मलिन बस्ती, प्रकाश नगर के पास खुडबुडा, देहरादून उम्र-21 वर्ष

बरामदगी

घटना में प्रयुक्त चाबी (स्कूटी की)

पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक गिरीश चंद, कोतवाली कैंट देहरादून
2- उ0नि0 रजनीश सैनी, चौकी प्रभारी बिंदाल
3- कानि0 अवनीश कुमार
4- रि0का0 पंकज कंडवाल

कोतवाली कैन्ट
जनपद - देहरादून
दूरभाष: 0135-2556235
POLICE